FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

मूतेरी उर्फ बिमला पुत्री श्री बाला जाति अहीर निवासी सलारपुर तह0 नीमराना वगै0।

बनाम

अनिल पुत्र अमरसिंह जाति अहीर निवासी सलारपुर तह0 नीमराना वगै0।

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट 197 न0 सन 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	19.06.2023 आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 मूल वाद के साथ प्रार्थीया ने पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित। प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में होना प्रतित होती है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 508/1357,508/1369,508/1373,508/1374,508/1379,508/1384,508/1370,508/1371,508/1372,508/1385,508/1375,508/1378,508/1383 वाके ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना जिला अलवर मौका एवं रिकॉर्ड यथास्थिति बनाये रखे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 नोटिस तलब हो । प्रार्थी रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि रजिस्ट्रर्ड तलवाना पेश करने में विफल रहते है तो उक्त आदेश अपास्त माना जावेगा। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 26.07.2023 को पेश हो। Sd/ उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
[illegible]	[illegible] पेश [illegible] प्रार्थना [illegible] पत्रावली से [illegible] करने का आदेश [illegible] है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र [illegible] किया है [illegible] का [illegible] करने [illegible] है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] संलग्न [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)